

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन उदयपुर/1537-21927/2024/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती गुमानी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (परिवीक्षाधीन), उप स्वास्थ्य केन्द्र, नगरी, खण्ड चित्तौडगढ का परिवीक्षाकाल में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 24.05.2021 से 01.08.2021 तक कुल 70 दिवस का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD/Rules/06/पार्ट-1 दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवकाश उपभोग पर असाधारण अवकाश की सीमा तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन उदयपुर/1537-21927/2024/28

दिनांक:- 13/02/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन उदयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ।
4. संबंधित कार्मिका द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रुम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधिकारी को ई-मेल करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5554367

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director
Date :13-02-2024 11:57:02